RESOLUTION RE DETERIORATING LAW AND ORDER SITUATION IN THE COUNTRY AND GROWING ATROCITIES ON HARIJANS AND OTHER WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY AND CREATING AN ATMOSPHERE OF CONFIDENCE AMONGST THEM

, SHRIMATI HAM1DA HABIBUL-LAH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 beg to move the following Resolution;

"Having regard to the fact that 'luring the last eight months there has been deterioration in the law and order situation in the country and growing atrocities on Harijans and other weaker sections of the society, this House is of opinion that Government should take immediate steps to restore law and order in the country and create an atmosphere of confidence amongst the Harijans and other weaker sections of society."

Sir, should I continue?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Well, it is five o'clock now. Your Resolution is moved. We shall now take up Half-an-Hour discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 4TII AUGUST. 1977 TO STARRED QUESTION 405 RE. RESERVATION OF QUOTA IN CENTRAL SERVICES FOR BACK-WARD CLASSES AND MINORITY COMMUNITIES.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त, 1977 को मैंने एक प्रश्न पूछा था जिस में यह पूछा था कि क्या पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि गृह मंत्री जी ने इसके जवाब में कहा कि जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिए इस संबंध में आपकी अनुमति से मैं यह चर्चा करना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया होगा । अनुच्छेद 16(4) में यह स्पष्ट लिखा है कि:—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any pr vision for the reservation or pointments or posts in favour of backward class of citizens which, *is* the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

इसी को ध्यान में रख कर अनुच्छेद 340(ए) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े वर्गों की समस्याओं की जांच करने के लिए और रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमीशन बनाये । उसी के आधार पर काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति हुई और उसका प्रतिवेदन सरकार के सामने आया । इसी बीच में जो इस देश की विभिन्न राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी बहुत से कमीशन बनाये । उन कमीशनों की ओर भी मैं थोड़ा-सा इशारा करना चाहता हूं । पहली दफा पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी मैसूर महाराजा की सरकार ने सन् 1918 में बनाई थी । बम्बई की सरकार ने सन् 1929 में इसी प्रकार की एक कमेटी बनाई । जम्मू-काश्मीर सरकार ने सन् 1931 में एक कमेटी बनाई । काका कालेलकर कमीशन सन् 1953 में बना, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं । सन् 1960 में मैसूर सरकार ने

[श्री श्याम लाल यादव]

पिछड़े वर्गों के लिए एक कमीशन बनाया । सन् 1961 में फिर महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी प्रकार की एक कमेटी बनाई । केरल सरकार ने भी अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत 1960 में एक कमेटी बनाई । जम्मू काश्मीर की सरकार ने दुबारा सन् 1967 में एक कमीशन आफ इन्क्वायरी बनाया । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सन् 1968 में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमीशन बनाया और केरल में एक दूसरा कमीशन इसी धारा के अन्तर्गत बना । इसी प्रकार से बिहार के अन्दर भी एक कमीशन बना । उत्तर प्रदेश में एक छेदीलाल पिछड़ा वर्ग आयोग बना । अभी हाल ही में सन् 1975 में कर्नाटक सरकार ने श्री हावनूर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया । श्री हावनूर हमारे सदन के आदरणीय सदस्य हैं । उन्होंने कर्नाटक सरकार के पास एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछड़ेपन के लिए एक निश्चित आधार होना चाहिए । समाज के अन्दर जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और दूसरे क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं उनको पिछड़े वर्ग में माना जाना चाहिए । केवलमात्र जाति के आधार पर किसी को पिछड़े वर्ग में मानना उचित नहीं है । उस कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि इस प्रकार से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसके लिए आरक्षण किया जाना चाहिए । इसलिए आरक्षण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, मान्यवर, उस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले मद्रास प्रान्त में और फिर मैसूर की देशी रियासत में 1874 में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षित किया गया। काश्मीर में, मान्यवर, 50 फीसदी स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए और शेष 50 फीसदी में से 60 फीसदी जामवी हिन्दु (डोगरा) के लिए और 40 फीसदी काश्मीर ब्राह्मणों और कुछ सिखों के लिये सुरक्षित किये गये । इसी प्रकार 42 प्रतिशत राजकीय नौकरियों में आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया गया और शेष 58 प्रतिशत में भी स्थान पा सकते हैं ।

कर्नाटक में 40 फीसदी सरकारी नौकरियों में स्थान पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये गये । यह मैं निवेदन कर रहा हूं जो शैडयूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स के लिये आरक्षण हैं । इसके अतिरिक्त....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It is Half an-Hour Discussion. Hurry up, please.

श्री श्याम लाल यादव : मैं समाप्त कर रहा हूं, श्रीमन्, 5–7 मिनट का टाइम है । मैं सारे तथ्य सरकार के सामने रखना चाहता हूं ।

ये 40 फीसदी आरक्षण कर्नाटक में आज भी लागू है । केरल में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत स्थान आज भी आरक्षित हैं, जिसमें मान्यवर मुसलमान और लोहित कैथालिक्स भी शामिल हैं । इन वर्गों के उम्मीदवार जो 50 फीसदी अन-रिज़र्व्ड सीट हैं, उसमें भी कम्पीट कर सकते हैं ; महाराष्ट्र में म्युनिसिपल सेवाओं में 34 प्रतिशत पद पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में क्लास I, II और III में 15 फीसदी और क्लास फोर्थ में 10 फीसदी जगह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की गई

हैं। मान्यवर, भारत सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया और न कोई आरक्षण किया, यह बहुत ही दुख की बात है।

हमारे गृह मंत्री मान्यवर, पहले डा० लोहिया के परम शिष्यों में से थे मुझे आशा है कि उन्हें डा० लोहिया का वह नारा याद होगा कि देश की जनता बांधे गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ। इसमें महिलायें भी शामिल हैं।

मान्यवर, मैं दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी एक पुस्तक है 'चौधरी चरण सिंह के विचार' उसके पृष्ठ संख्या 31 पर लिखा हुआ है कि :

"जब कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्ग दोनों हिन्दू और मुसलमान हमारे देश की जनता के लगभग आधी संख्या के होते हैं उनका देश के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में या तो कोई स्थान नहीं या अत्यन्त नगण्य स्थान है। देश की उक्त परिस्थितियां सामाजिक और राजनैतिक तनाव पैदा कर देती हैं और पिछले सत्ताधारियों की कृपा से इसके निराकरण की भी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की तुलना में स्थिति और भी बिगड़ी यद्यपि हम किसी भी प्रकार का संरक्षण एक दोषपूर्ण सिद्धांत मानते हैं फिर भी वह अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फिलहाल इससे मुक्ति नहीं है। अतः 25 प्रतिशत राजपत्रित पद इन वर्गों के नवयुवकों के लिए सुरक्षित होने चाहिएं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत काका कालेलकर के सभापतित्व में हुई 1952 के आयोग की सिफारिश में निहित है।"

जनता पार्टी का जो मैनिफैस्टो है, उसको यहां पर पेश करना चाहता हूं...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): If you go on discussing the Manifesto and Mr. Charan Singh, this will become a two-hour discussion.

SHRI SHYAM LAL YADAV: "The Janata Party believes that the disparities that separate these members of our society from the more edueatioa-aily and economically advanced sections cannot be radically reduced witti-out a policy of special treatment in their favour. It will accordingly provide preferential opportunities for education and self-employment to these sections. In this connection it will reserve between 25 and 33 per cent of all appointments to government services for the backward classes, as re-commended by Kalelkar Commission."

इसलिये मान्यवर, जो पहले की चौधरी की विचारधारा थी, उससे थोड़ा आगे जा रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इन बातों पर विचार करके अपने वायदे को पूरा करेगी ?

अन्त में मान्यवर, जो मैंने प्रश्न पूछा था, मुसलमानों के बारे में उस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के हावनूर कमीशन ने यह साफ तौर से लिखा है कि समूचे मुस्लिम वर्ग को

[श्री श्याम लाल यादव]

सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाना चाहिए । पृष्ठ 84, मुख्य रिपोर्ट वोल्यूम I, पार्ट I में यह है । हमारी संविधान सभा में यह सवाल उठा था । इसके लिए एक कमेटी बनी थी । उसने भी सिफारिश की थी कि इस तरह की व्यवस्था मुसलमानों के लिए होनी चाहिये । यह व्यवस्था रखी भी गई थी लेकिन जब आर्टिकल 335 अंतिम रूप से बना जिसमें केवल शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बात रखी गई क्योंकि एक सदस्य श्री लारी ने कहा कि—

"You concede reservation to Anglo-Indians, but you deny it to "he Muslims. Why this discrimination?"

हावनूर कमीशन ने जो कहा है वह मैं पेश करता हूं....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. XAKSHMANA GOWDA): How long are you going to speak? You can wind now.

श्री श्याम लाल यादव : और भारत सरकार ने मान्यवर 4 अप्रैल, 1934 के आदेश में आई० सी० एस० सेन्ट्रल सर्विस क्लास I, II सबोर्डिनेट्स सर्विस में 25 प्रतिशत मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किये है । मुसलमानों के लिए 8.1/3% स्थान अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए आरक्षित किए गए थे । जनता पार्टी के संसद सदस्य श्री बशीर अहमद की पुस्तक 'मुस्लिम्ज इन इंडीपैंडेंट इंडिया' में इस बारे में उन्होंने कहा है और मोइनल हक चौधरी ने 13 जुलाई, 1973 को लोकसभा में कहा था कि दिल्ली में सैंट्रल गवर्नमेंट सर्विसिज में गजटेड अफसर 5700 थे जिसमें से 47 मुस्लिम थे । इसी प्रकार से 31-3-77 को उनकी संख्या 39375 जिनमें 677 मुस्लिम थे । यह केवल 1.7% होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार संविधान के आर्टिकल 335 में संशोधन करके वहां पर बैकवर्ड क्लास के साथ मुस्लिम भी लिख दे जिससे उनको तमाम सर्विसिज के अन्दर रिजर्वेशन दिया जा सके । भारत सरकार एक बैकवर्ड क्लास मंत्रालय भी स्थापित करे जैसे कि काका कालेलकर कमीशन ने सुझाव दिया था । इस प्रकार से सरकार इस रिपोर्ट के अनुसार सर्विसिज में आरक्षण दे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI *U.* K. LAKSHMANA GOWDA**):** Mr Yadev, others will not get a chance. There is no time.

श्री श्यामलाल यादव : अब एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पुलिस, पी० ए० सी० जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, उसमें भी अल्पसंख्यकों को 40% आरक्षण दिया जाए क्योंकि यही पुलिस अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां और जुल्म करती है । मुझे आशा है कि हमारे गृह मंत्री जी जो डा० लोहिया के प्रेमी शिष्य रहे हैं उनके उस नारे को नहीं भूलेंगे और जनता पार्टी के मैनीफेस्टो को भी नहीं भूलगे और उसके अनुसार घोषणा करेंगे । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सब आरक्षण कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा ही किए गए थे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI *U. K,* LAKSHMANA GOWDA): Mr. Havanur Please be brief. The Mover has already taken such a long time that others time will have to be cut dowa

SHRI SHYAM LAL YADAV: I have taken only ten minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You have taken 13 minutes.

SHRI L. G. HAVANUR (Karnataka): Sir, the Hon. Member, Shri Shyam Lal Yadav has referred to my report. Our Commission was appointed in 1972 and it presented its report in 1975, contrary to what he said that it was appointed in 1975.

SHRI SHYAM LAL YADAV: I have net said that.

SHRI L. G. HAVANUR: Sir. there appears to be something wrong with the Central Government, whether it is the Janata Government or the Con-gress Government, because the Central Government is not sincere in implementing the Directive Principles of Sate Policy in regard to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other eaker sections like the backward classes and the minorities. Article 340 the Constitution 'has authorised the President to appoint a Commission, and a Commission was in fact appointed in 1953 under the Chairmanship of Shri Kalelkar. The report was reject- ' by the Central Government on the ground that the recommendations '.vererl a large population, secondly that it suffered from many deficiencies in the sense that the Commission did not conduct socio-economic survey in respect of many castes and communities and thirdly that the Commission vent on the sole principle of caste, ha1 is to say. the principle of high and low in determining social backwardness of castes and communities in the Hindu social hierarchical system. Therefore, the Government suggested to the State Governments that a socioeconomic survey should be conducted in respect of castes and communities specified by the Commission so far as I States were concerned and that the deficiencies found in the report should be filled, and recommendations implemented. The other reason why the Central Government rejected the report was that in the event of implementation of the recommendations of Commission, certain quota in the services In the Central Government had also got to be earmarked for the backward classes, besides the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Central Government was not sincere in implementing the Directive Principles contained in article 46, and the principles that are contained in the Preamble of the Constitution, of securing equality of opportunity to all classes of people, not only in social and economic fields but also in administrative fields. It is with that calculated motive that the Central Government rejected the Kalelkar Commission Report. Even so, though the Constitution came into force in 1950, in all these 27 years, the Central Government has not bestowed any thought on appointing one more commission. Article 340 does not say that there shall be one commission and appointed only once. At least the Janata Government, which went to the polls in March 1977 with the promise of implementing the Kalelkar Commission recommendations, having realised that the Central Government then noticed difficulties in implementing the report and having known that the Supreme Court in the Balaji case in 1962 adversely commented upon the approach adopted by the Commission, should, if they are sincere and honest in their approach, immediately appoint one more Commission to identify the backward classes in the whole of India. There I would suggest that the lists of backward classes prepared by the various State Governments may be accepted by the Central Government and the President of India should be authorised to issue orders under article 338(3). My submission is that the Janata Party adopted that strategy only as a vote-catching device and having become successful in the elections, they do not want to implement the substance of Article 340 and Article 338(3)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr, Havanur, you make your suggestions straightway. That is the best way.

SHRI L. G. HAVANUR: That is my first suggestion. The second sugges-

[Shri L. G. Havanur] tion is that so far as those States are concerned where Commissions had been appointed and lists prepared for the purpose of giving representation to those backward classes, ;he Central Government should recognise those lists and make adequate reservations in Central Services only. As regards the extent of reservation to the backward classes, besides the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, my submission is that the Constitution does not prescribe any limitations. However, the judiciary in 1962 a broad and general way has stated that reservation should not exceed 30 per cent. Even so, subsequent rulings of the Supreme Court show that depending upon the circumstances prevailing in a particular State, reservation could exceed 50 per cent. In the latest Supreme Court case of l!)75, Mr. Justice Fazal All has suggested that if in a particular State the population of backward classes is, say, to the extent of 80 per cent, reservation could be to the extent of 80 per cent. Therefore, my suggestion to the Central Government is, firstly, that reservation could be made to backward classes in the Central services even though the report of the Kalelkar Commission is not accepted. Secondly, reservation need not necessarily be confined to posts below 50 per cent of the aggregate strength. Thirdly, the question is whether religious minorities like Muslims and Christians should also be treated as backward classes. If one goes through the debates of the Constituent Assembly, it becomes clear that religious minorities as such, like Muslims and Christians, do not fall within the definition of "backward classes", but they form separate and distinct religious communities. If they also have social backwardness, economic backwardness and certain other disabilities, I feel that they could be classified under article 14, making them a class by themselves for special treatment. Because, the Muslim personal law and other laws specifically require special treatment for them. There are ?. number of judicial pronouncements to say that Muslims and Christians form a class by themselves, and if in any particular State the representation is not proportionate to their population, then they should also be treated on par with Scheduled Castes and othe:- backward classes and facilities extended to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backwar:' classes should be extended to their.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय मैं संक्षेप में कुछ बातें कह रहा हूं, मंत्री महोदय नोट कर लें । पिछड़ा और अगाड़ी वर्ग हुआ कैसे ? अंगरेजों के जमाने में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अवसर उठाया अंग्रेजी की हुकूमत में अंग्रेजी की पढ़ायी लिखाई में, वे आम तौर से सर्विसेज के कामों के आगे आ गए और ऊपर हो गए । आज जो देश की स्थिति है वह यह है कि करीब 16–17 प्रतिशत सारी आबादी का अगाड़ी वर्गों के अन्तर्गत है । हरिजनों का लगभग 20 प्रतिशत उसके अन्तर्गत आता है । इसी प्रकार अल्पसंख्यकों का लगभग 9 प्रतिशत है और पिछड़े वर्गों का 55–60 प्रतिशत है । पिछड़ा वर्ग कहने में आप इस को और ध्यान में रखिए कि पिछड़े वर्गों में कुछ तो किसान जातियां हैं, जैसे कुर्मी हैं, अहीर हैं, काछी हैं, किन्हीं किन्हीं सूबों में और जातियां हैं । दूसरा वर्ग है जो कर्मकारों का है—कुम्हार हैं, कहार हैं, नाई हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, तेली हैं, तमोली हैं या वे आर्टिजन्स हैं जो सारे के सारे हमारे समाज के अंदर हैं । तीसरा वर्ग वह है जो बिलकुल मजदूर की तरह है । शेडयूल्ड कास्ट को सारे अधिकार देते गये लेकिन शेडयूल्ड कास्ट की तरह के और हैं जिनको नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स कहते हैं । धार हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, ये बिलकुल मजदूर टाइप के लोग

हैं जिन के पास न खेती है न सरकारी नौकरी है न कोई सुविधा है । उनकी हालत कहीं कहीं शेडयूल्ड कास्ट वालों से भी खराब है । यह स्थिति है । सरकारी नौकरियों का क्या हाल है, जिसको हम एड्मिट कर रहे हैं कि 16 फीसदी जो अगाड़ी वर्ग है वह 85 फीसदी सरकारी नौकरियों पर बैठा हुआ है । 84–85 प्रतिशत जो बाकी वर्ग रह गया है, चाहे माइनारिटी के नाम पर चाहे शेडयूल्ड कास्ट के नाम पर चाहे पिछड़े हुओं के नाम पर, वह सिर्फ 15 फी सदी सरकारी नौकरियों में हैं । ये आंकड़े हैं । इसका नतीजा क्या हो रहा है ? नतीजा यह हो रहा है कि जिस जनतंत्र को आप पनपाना चाहते हैं वह सब ऊपरी ऊपर रह गया है । कोई जनतंत्र देश में पनप नहीं सकता है अगर 85 फीसदी जनता प्रशासन में आजादी के 30 साल बाद भी इस स्थिति में रहे । आपको मालूम है, इस देश में जो जातपांत है, जातीय पक्षपात है उस में 85 फी सदी जनता का हक काट कर हम कैसे जनतंत्र और स्वराज्य का सपना देखते हैं ?

महोदय, इन अगाड़ी वर्गों के, जातियों के लोग आम तौर से पुलिस में और सरकारी नौकरियों में पड़े हुए हैं गांवों में और शहरों में । नतीजा यह हो रहा है कि जो कुम्हार हैं, लुहार हैं, मल्लाह हैं, कुर्मी हैं, अहीर हैं–वे तो अग्रिकलचरिस्ट होने के नाते लड़ भी लेते हैं—लेकिन और बेचारे हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट के आधार पर भी बहुत थोड़ा मिलता है । यह बताइए कि वह बेचारा भर, केवल, मल्लाह, नाई, बढ़ई, कुम्हार, कहार, जिसका प्रशासन में कोई हिस्सा नहीं है उसकी बात कौन सुनेगा ? अगर एक वर्ग ब्राह्मण हुआ तो बताइए कि नान ब्राह्मण को न्याय मिलेगा ? 100 में से 99 नहीं मिलेगा । आपकी मशीनरी पक्षपातपूर्ण रही है, अगर देश की वह मशीनरी उसके उत्थान और न्याय के लिए होती तो हमें कोई ऐतराज नहीं था । मगर जो पक्षपात, जो धांधली, जो जातिवाद इन अगाड़ी जातियों के अंदर भरा हुआ है उस से त्राहि त्राहि फैल गई है । आपको उसका पता यहां दिल्ली में बैठ कर नहीं होता ।

अगर आप देश का उत्थान चाहते हैं, जनता का उत्थान चाहते हैं तो वह उत्थान कौन करेगा ? जो आदमी चाहता है कि हरिजन हमेशा उसी दशा में रहे कि वह हल जोतने से ऊपर न उठ सके, जो यह चाहता है मजदूर जातियां आज की हीन स्थिति से ऊपर नहीं उठ सके, क्या उससे यह सवाल हल हो जायगा ? यदि ऐसा करेंगे तो 30 साल नहीं, 100 साल से भी ज्यादा नाक रगड़ते रहे लेकिन देश का उत्थान नहीं कर सकते क्योंकि उनके दिल में उनको दबोचने की, पीड़ित करने की भावना है, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है । मैं आप से दावे के साथ कहता हूं कि पांच साल के अंदर आप 85 फी सदी जनता को सरकारी मशीनरी में कर दें तो देश को उठने में पांच साल से ज्यादा नहीं लगेगी । उन को जरुरत है । उन में भावना है । उठना चाहते हैं । इस लिये जरुरी है देश की खातिर, उत्थान की खातिर आप यह करें । वरना यह संभव नहीं हो पायेगा । तीसरी एक और चीज है । राजस्व का इतना बड़ा भाग जाता है सरकारी नौकरियों में और यह सारा लाभ केवल 15 प्रतिशत जनता को ही रहा है । इस में का पैसा क्या उन को नहीं मिलना चाहिए । यह भी एक कारण है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है । आप सरकारी खजाने का रुपया तनख्वाह के रुप में उन सरकारी नौकरों को जो कुल आबादी का 15 फीसदी है, दे रहे हैं और 85 फीसदी को छदाम भी नहीं मिल पाता है । अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोट का कोई फैसला है कि आरक्षण एक सीमा तक हो सकता है । यह बहानेबाजी अब नहीं चलेगी । सीधी सी बात है । अगर कोई झंझट है तो मेरा सुझाव

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

है कि आप इन 16 फीसदी वाली अगाड़ी जातियों के लिये संरक्षण दे दीजिए और बाकी जो 84 या 85 फीसदी है पिछड़ी जातियां जिन में हरिजन है, गिरिजन हैं, पिछड़ा वर्ग है उन के लिये छोड़ दीजिए। इस से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी। कानूनी परेशानी का बहाना ले कर आप जनता को लूटना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यहां महिलाओं की बात आयी। मुझे एतराज नहीं इसमें कि सारी नौकरियां महिलाओं को दे दी जायं। लेकिन उस में 15 फीसदी अगाड़ी वर्ग की रहे और 85 फीसदी पिछड़े वर्ग की महिलायें रहें। आप महिलाओं के नाम पर लेना चाहते हैं आधी और बाकी दूसरों के नाम पर और इस तरह दोनों हाथ लड्डू रखना चाहते हैं यह नहीं चलेगा। आप महिलाओं को पिछड़ा मानते हैं तो सारी नौकरियां महिलाओं को दे दीजिए, जहां जहां जरूरत हो लेकिन 85 फीसदी वह रहें और 15 फीसदी अगाड़ी वग की रहें। इस में हमें एतराज नहीं।

तो मेरा कहना है कि जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टों में घोषणा की है। 30 साल से तो पंत जी ने इस को ऐसा रगड़ा काका कालेलकर की रिपोट को कि देश के धुर्रे उड़ा दिये, देश को बर्बाद कर दिया। अब यह 30 प्रतिशत भी काफी नहीं है। आप इस को जल्दी कर दें तो संतोष हो जायगा और नहीं करते हैं तो मांग यह होने वाली है कि 30, 35 नहीं, बल्कि 15 अगाड़ी रहें बाकी 85 फीसदी जनसंख्या को दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri Naik: You will have to finish within two or three minutes. There is hardly any more time for you because your Party has taken some time.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): I must thank you very much----------

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You kindly make your suggestions.

SHRI L. R. NAIK: Yes, Sir. I must complement my friend Shri Shyam Lai Yadav for the abiding interest he has been taking in the problems of the backward classes. Though our sacred Constitution has enshrined that the backward classes must be lifted and brought on a par with other cast es, very little has been done in the matter as the other speakers have said. According to the Directive Principles contained in article 46, it shall be the responsibility of the State to bring about advancement in certain classes like the weaker sections in' general and the Scheduled Castes and Tribes in particular and to protect them from all sorts of exploitation. With a view to carrying out this principle, articles 15(4) and 16(4) lay down certain guidelines. Of course, nowhere weaker section and backward classes have been defined in our Constitution. But as far as the Scheduled Castes and Tribes are concerned, they have been specified in articles 341 and 342. So there is no hitch over this point. But, as regards the weaker sections, of course, as I have said, they have not been so de_ fined as to include the backward classes also. But backward classes may not be the weaker sections and *vice versa.* But it would be necessary to define or identify who the backward classes are. With this objective in view, the Kalelkar Report was given and if we examine that Report, we would And that it has gone to such an extent that it has included as much as 75 per cent of the people of this country as backward and Sir, here the hitch arose and this has to be noted very carefully by this August House. I say this because the backward classes problem is really serious and we have to know who the backward classes are. So it was for right reasons only that the Central Government have not accepted the recommendations made in the Kalelkar Report. Now, Sir this question has been examined and it has been

brought before the High Courts and also the Supreme Court. In the Balaji Case. _____

THE VICE-CPI AIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You make your suggestion to the Minister.

SHRI L. R. NAIK: I am coming to the suggestion and you have to kindly bear with me because this is a very important point.

In the Balaji case, Sir, Mr. Justice Gajendragadkar laid down certain sound principles, sound dicta and sound criteria on the basis of which we can identify the backward classes. Of course, he has said that caste can not be excluded. He has said that it can only be one of the basic factors because caste is peculiar to the Hindu religion. But it is possible that there are other groups among the other re ligions like Islam or Christianity. There must be some such people who also deserve to be taken care of. Sir, the second point that he has made is that under article 15(4), only those classes who are educationally and socially backward deserve to be taken care of. Now Sir, this is a very im portant problem. The words used are "educationally and socially" and not "economically". This word is not used at all. So, Mr. Justice Ga-jendragadkar has said that if these people are to be treated as backward they must be both socially and educationally backward. Mere social backwardness is not adequate and mere educational backwardness is not enough. There must be both the factors. Therefore, he has laid down' that criterion to test the educational backwardness. He has said that the test for educational backwardness can be applied with reference to a pass in a certain standard of examination for instance, matriculation examination.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You come to the suggestion'. Otherwise there will no time for you to make the suggestion.

SHRI SHYAM LAL YADAV: Don't go into the details,

SHRI L. R. NAIK: What I want to suggest is that the criteria is laid down by Mr. Justice Gajendragadkar should be examined by the Central Government and a directive should be given to all the States to the effeet that on the basis of the criteria laid down like this, they should examine as to who the backward classes are and it is no use saying that they have got the list of backward classes and so on and it is no use flaunting the list of backward classes. Neither the Central Government nor the State Governments can look after eighty per cent of the people who are backward. As a matter of fact, the University Grants Commission, under the Chairmanship of Mr. Kothari has laid down categorically that no State, not even the Central Government can afford to look after a class of people who can be more than 33 per cent of the population of this country. Of course, they are other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and they form about twenty to twent-five per cent of population. That is why, Mr. Justice Gajendragadkar laid down the rule that backward classes including the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes would not be more than fifty per cent.

That is very important, and it is high time that these people are identified in that way.... *(Time bell rings.)* .... If you examine reports about the backward classes, you would find that any number of communities have been gone on added, with the result that big fish has eaten the small fish. I would like to sub-mit to this august House that all these should be examined and in the light of that the Government of India should take action to appoint a separate Backward Classes Commission and specifically give them the criteria. Please do not allow these Backward Classes Commissions to form their own criteria, depending upon their whims arid caprices.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You have made your point. Mr. Khu-

rshed Alam Khan. Just a couple of minutes.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi): I will take a fow minutes. I will put straight questions to the hon. Minister. In the first instance, I will say that this subject is being dealt with like the Milton's Paradise Lost, which is read by none but appreciated by all. So, here I will start with one question whether the hon. Minister would care to get the statistics regarding the employment opportunities offered to the minorities in Government services and in public sector undertakings. I know the Minister will rise and say that there is no such constitutional provision. I am also guilty of quoting this when I was in service and I used to say that there was no constitutional provision and, therefore, we did not keep all the statistics. May I request the hon. Minister that by a Government Order, what they call G. O. —he can issue a G.O.—he can get all the information and he would know what is the percentage 0:! minorities in your services. This is one.

I quite agree that there are a lot of provisions and our interests have been protected in the Constitution. Besides, at national level also we have been given a lot of assurances, But please see, what is the net result? May I quote the statistics which I have? You may believe these or not, In 1957, when our population was 89 per cent, we were 32 per cent in services. Today our population is more than 10 per cent and we are hardly 2 per cent in services. See what has happened. Have we lost all the wisdom? Have we lost all intellect? Have we lost all the intelligence and are we unable to compete? If we are unable to com-pete, is it not possible to recruit us only in Class III and Class IV? We do not want to become officer. But Class III and Class IV do not need a lot of intelligence and competitive spirit. Besides, you always talk of regional imbalances. For instance, my hon**.** friend here quoted about Jammu and Kashmir— a glaring example. We always say that there should be balanced improvement and there should be balanced planning in Jammu and Kashmir, because they are two distinct regions. We quite appreciate this. This should be done. But this should be done not only on regional basis but also on community basis. If you will not do this, I will tell you, then we will be like a millstone round your neck. Hon. Minister, you are very stout, but you will find this mill-stone too heavy to carry. Apart from this, I would also like to say that with all your intentions, good and bad, about the appointment of Minorities Commission for the last six months, you have not been able to take a decision to appoint this Commission. What is the difficulty? You have appointed so many Commissions. But you have not been able to appoint a Minorities Commission. You think that this is not so important and other matters were more important where you have appointed Commissions.... *(Time bell rings),*

I am finishing with one warning. We are a minority Sir. Kindly note that we are a minority. We know that we are a minority. But please do not forget that we are not a microscopic minority which you can ignore and you can ignore it all the time. I assure you that whatever historical decision' or national decisions you take, if these decisions are not taken without getting our consent, these de-cisions will not be everlasting and these will not be everlasting—I assure you. And we do not want that our Government decisions should not be everlasting. We want food, we want housing, we want clothing, and nothing more. If you will do this, we will produce hundreds and hundreds of Hav. Abdul Hameeds who would come for your 'raksha' and who would lay down their lives.

THE VICE-CHAIRMAN **(**SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr.

S. W. Dhabe. Please make only suggestions.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): I would like to make a few sugges tions. I would like to say that our hon. friend, Mr. Kumbhare, was on fast along with other R. P. I. leaders for extending concessions to neo-Buddhists from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, from my State, there are 55 lakhs of such peo ple. The reply given by the hon. Minister was as to what will happen if they become Christians and Mus lims. Sir, social backwardness does not change with the change of reli gion. Sir, in' our Acts such as Hindu Marriage Act and other Acts, the de finition of Hindu has been extended to include Jains, Sikhs and Buddhists. Therefore, Sir, it is very difficult to convince the people why the neo-Buddhists cannot be given the bene fits which are given to the Hindus called Scheduled Castes and Schedul ed Tribes. If they cannot give con cessions or an amendment of the Constitution is not possible or there are legal difficulties, at least they can be recongnised as backward communi ties and their interests can be protect ed by giving them adequate represen tation in this. Secondly, the most neg lected caste in our country is the sweeper community. They are al ways sweepers. I would like to know how many out of the sweepers' community who are getting education are given jobs. Now comes my third suggestion. It may be difficult to amend the Constitution of the Cen tral services. But so far the public sector services are concerned, it can be done. Adequate representation can be given to backward classes and minority communities in respect of appointments. There is no use of appointing commissions and waiting for their reports. We are tired of commissions. instead of doing that, administrative action should be taken iso that these people get appointments. A time has come when we should not think of community or caste or back ward class or progressive class or mi nority or majority. If we really want a jocial tranaformation of our society as a democratic social society, we must have a criterion based on social, economic, cultural and educational backwardness. The criterion for education concession should be Rs. 200 per month or Rs. 2400 per year and this should be given to all com-munities including Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI L. G. HAVANUR: Provided the Government can give benefit to every individual whose income is that much. There should be no selection on the ground of merit.

SHRI S. W. DHABE: Educational backwardness and (social backwardness is a criterion. In addition to that, economic backwardness is also a very important criterion which has to be followed in our country so that all the weaker sections can get benefit out of this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That Kalp Nath Rai. Please be brief.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अभी एक महीने पहले . .

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : डा० राम मनोहर लोहिया की भी बात कहो ।

श्री कल्पनाथ राय : मुझे आपसे ज्यादा आता है । आप बैठ जाइये । पटना में कहा कि पिछड़ेपन का आधार जात-पात नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए । मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कहने पर केन्द्रीय सरकार पिछड़े वर्गों के लिये आयोग का गठन करे जो हिन्दुस्तान में आर्थिक दृष्टि से कौन-सी जातियां पिछड़ी हैं, इसका एक लेखा-जोखा तैयार करे और उसके आधार पर देश के राज-काज में हिस्सेदारी दी जाये । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय,

[श्री कल्पनाथ राय]

दुनिया का दो-तिहाई हिस्सा गरीबी की दलदल में फंसा है और 30 वीं अक्षांश के उत्तर में रहने वाले एक-तिहाई लोग दुनिया के दो-तिहाई एशिया और अफ्रीका की जनता की छाती पर कुण्डली मार कर बैठे हैं। वैसे ही हिन्दुस्तान में दो-तिहाई जो जनता है और हिन्दुस्तान की जो दो तिहाई जमीन है उसकी ताकत का इस्तेमाल हम राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने के लिये नहीं कर रहे हैं यानी दो-तिहाई देश की *जमीन* अभिसंचित है और इस प्रकार उसकी ताकत को हम राष्ट्र की समृद्धि में नहीं लगा रहे हैं, उसी प्रकार हिन्दुस्तान की दो-तिहाई आबादी जो पिछड़ी है, जो अनुसूचित है, माइनारिटी में है – बौद्ध, हरिजन, शूद्र और मुसलमान जो हैं, उनकी ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र हो सके . . . .

इसलिए इस देश के एक महान नेता, समाजवादी नेता डा० लोहिया ने एक विशेष अवसर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मगर जात-पात वाले लोगों को डा० लोहिया को समझने के लिए उनकी जाति नीति को पढ़ना चाहिए किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, एक विशेष अवसर का सिद्धांत बनाने के लिए कहा था। जात-पात के जहरीले नाग डा० लोहिया को नहीं समझ सके। डा० लोहिया को समझने के लिए समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इसलिए आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान की देश की, हिन्दुस्तान में, व्यापार में, हिन्दुस्तान में नौकरियों में, हिन्दुस्तान में बड़ी सर्विसिज में, हिन्दुस्तान में जमीन में, चार मुख्य सिद्धांत हैं। इन चारों सिद्धांतों पर कुछ मुट्ठी भर लोग एक कुंडली मार कर सांप की तरह बैठे हुए हैं। हिन्दुस्तान की दो-तिहाई जनता को किस तरह से इन सभी कामों में, जमीन की हिस्सेदारी दी जाए, यह एक बहुत ही अहम मसला है, अहम सवाल है। हिन्दुस्तान की जनता दो-तिहाई जनता का मन टूट रहा है, हिन्दुस्तान की दो-तिहाई जनता का तन पिस रहा है, यह हजारों वर्षों से गुलामी में रही है और जुल्म की चक्की में पिस रही है। किस तरह से इस दो-तिहाई जनता की हम तरक्की कर सकेंगे, किस तरह से उन्हें राजकाज में हिस्सेदारी दे सकेंगे, किस तरह से हम राष्ट्रीय समृद्धि, राष्ट्रीय सुधारों को टप कर के राष्ट्रीय मैनपावर को इस्तेमाल कर सकेंगे, यही एक सवाल है जिस सवाल को गांधीजी ने अपने दृष्टिकोण से देखा था। इसी को डा० लोहिया ने कहा। इसी सिद्धांत को जय प्रकाश नारायण ने माना था। इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुस्तान के संविधान में देश की महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कि बिलकुल शूद्र हैं, पिछड़ी हुई हैं, संविधान में संशोधन किया कि हम फंडामेंटल राईट्स की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राथमिकता देंगे . . (*Interruptions*) देखिए आपके बस के बाहर की चीज है। आप 75 वर्ष से ऊपर हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए आप जैसों को पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। इसलिए डा० लोहिया ने कहा था। . . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Order, please.

श्री कल्पनाथ राय : इसलिए डा० लोहिया ने कहा था औरत, हरिजन, शूद्र, मुसलमान यह चारों पिछड़ हुए हैं। क्या जनता पार्टी में कोई औरत है ? पूरे पार्लियामेंट में कितनी औरत मेम्बर जनता पार्टी की हैं ? तो यह जात-पात के जहरीले नाग पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिन्दुस्तान के संविधान में यह संशोधन किया कि हमने फंडामेंटल राइट्स की जगह

पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राथमिकता देंगे। यह समाजवाद की दिशा में एक महान् कदम था । हम इसको भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं, जनता पार्टी भूल सकती है, कांग्रेस पार्टी भूल सकती है, मगर इतिहास कभी इंदिरा गांधी के इस महान् कदम को नहीं भूल सकेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is enough. Please wind up now.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह पिछड़ी जातियों के विशेष अवसर के सिद्धांत को कार्य रूप दिलाने के लिए, व्यापार में, नौकरियों में, राजगद्दी में, जमीन में हिस्सेदारी को देने के लिए एक नया सैंट्रल बैकवर्ड कमीशन बनाए जो हिन्दुस्तान के हर प्रांत का सर्वेक्षण करे और हिन्दुस्तान के अन्दर आर्थिक पिछड़ेपन और जातिवाद, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगा कर उनके विकास का कोई रास्ता निकाल कर दे सके ।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, all I want to highlight is the special claim of the neo-Buddhists.

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): That has already been highlighted.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I want to say that they should be placed on a par with the neo-Sikhs. My friend, Mr. Dhabe, has given the legal implications, the legal aspects and the legal background of the matter. Coming to the philosophical background we have every reason to believe that Buddhism has emrged from the Hinduism, which has got so many schools of thought including that of *Charwaka* Thank you.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल) : महोदय, जो प्रस्ताव है और जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं । उन्होंने कुछ भावनाओं को व्यक्त किया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं और उनकी जो दशा है, उनको उन्होंने वर्णन किया है, मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं । प्रश्न यह है कि उनका पिछड़ापन कैसे दूर हो, उनकी हालत, उनकी दशा में कैसे सुधार हो, ये समाज के जो कमजोर अंग हैं, जिन्हें समाजरूपी शरीर ही कमजोर बना गया है, उसको कैसे ठीक किया जाये, कैसे सबल बनाया जाये ? इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा । महोदय, प्रस्तावक महोदय, श्री श्याम लाल यादव जी ने पिछड़े वर्ग आयोग की बात की । पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बना था, राष्ट्रपति जी ने इसे मुकर्रर किया था और सन् 1955 में उसने अपना प्रतिवेदन दिया । 1956 में वह सदन में रखा गया और उस पर विचार भी हुआ । तत्कालीन सरकार ने जो मेमोरेंडम आफ एक्शन जो उनको मिला, उस पर जो काम, जो कार्यवाही हुई, उस कमीशन के प्रतिवेदन, मेमोरेंडम आफ एक्शन पर, जो सदन में रखा गया था, कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया । लेकिन जो मुख्य विषय उस कमीशन के समक्ष था, पिछड़ेपन को कसौटी बनाना और उस कसौटी के आधार पर एक सूची बनाना तथा उस सूची में जिनको शामिल किया गया, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, दिक्कतों को दूर करने के लिए अनुशंसाएं करना, इस संबंध में काका कालेलकर कमीशन में एक राय नहीं बनी । विभिन्न रायें थीं, कसौटी के बारे में भी और उस कसौटी के अनुसार जिन लोगों को उस सूची में शामिल किया जाना था, उसके बारे में भी । तथा जो अनुशंसाएं थीं, उनकी हालत

[श्री धनिक लाल मंडल]

में सुधार करने के लिए, उसमें भी एक राय नहीं बनी थी । स्वयं काका साहब कालेलकरजी जो उस कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी ही राय अलग थी । यह ठीक है कि माननीय सदस्य कह सकते हैं कि उसकी एक बहुमत राय भी थी । बहुमत राय थी लेकिन हम यह कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उसमें एक राय नहीं बनी, जो कि बहुत आवश्यक थी । अतः ऐसे काम के लिए सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया । किंतु सरकार ने राज्यों को अपने स्व-विवेक से पिछड़ेपन की कसौटी और उस आधार पर सूची तैयार करने की छूट दी है और जैसा कि माननीय श्यामलाल यादव जी ने कहा, यह सही है कि अलग-अलग राज्यों में सूचियां हैं, अलग-अलग राज्यों में रिजर्वेशंस हैं, सेवाओं में भी रिजर्वेशंस हैं और दूसरी प्रकार की भी सुविधाएं मिल रही हैं ।

महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जितनी रायें दीं—माननीय नायक साहब ने, माननीय धावेजी ने, माननीय श्यामलाल यादव जी ने, माननीय वर्मा जी ने और माननीय कल्पनाथ रायजी ने, तो मैंने देखा—कल्पनाथ राय आर्थिक आधार की बात कर रहे थे, धावे साहब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कर रहे थे, श्याम लाल यादव जी और वर्मा जी कास्ट की बात कर रहे थे—ये सब मिला कर इतनी रायें बन जाती हैं, इस पर भी अभी एक राय नहीं बन पायी है, लेकिन मैं इसकी कोई हंसी नहीं उड़ा रहा हूं । कठिन विषय है, कम्प्लेक्स है, यह उलझा हुआ मामला है, कठिन मामला है । इस पर एक राय बनाना बहुत कठिन काम है । इसलिए मैं किन्हीं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कठिनाई की ओर ध्यान दिला रहा हूं ।

महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, जनता सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में जो वायदा किया उसको किस तरह से पूरा करने की कोशिश की ? जनता सरकार उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, जनता सरकार एक आयोग का गठन करना चाहती है । यह बात सही है, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि इसमें विलम्ब हो रहा है । हम कोशिश कर रहे हैं उसमें विलम्ब न हो, उसको हम और गति दें जिससे यह काम शीघ्र हो जाए । महोदय, मैंने इसके पूर्व में भी कहा है—सिविल राइट्स कमीशन की बात हुई थी—फिर माननीय सदस्यों की भी राय अलग-अलग हो गई, फिर से उस पर विचार करना पड़ता और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, इस सदन में, पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स जिनको हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम आयोग का गठन कर रहे हैं, बहुत ही हाई-पावर कमीशन का गठन कर रहे हैं और आटोनामस कमीशन का गठन कर रहे हैं ।

श्री श्याम लाल यादव : कृपया यह स्पष्ट कीजिए कि ये सिविल राइट्स कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, माइनारिटी कम्युनिटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए · · ·

श्री धनिक लाल मंडल : अलग-अलग हो जायेंगे, यह तो बात साफ हो गई । बैकवर्ड क्लासेज, हरिजन्स, आदिवासी एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज एण्ड माइनारिटीज—उनके लिए अलग-अलग कमीशन हो जायेंगे—यह बात हो गई है । कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स जो उनको

कांस्टीट्यूशन में मिले हुए हैं, चाहे लिंगुइस्टिक माइनारिटीज हों, रिलिजस माइनारिटीज हों, कल्चरल माइनारिटीज हों, जो भी माइनारिटीज हों, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, उनको जो भी कांस्टीट्यूशनल सेफगार्डस मिले हुए हैं उन सभी को प्रोटेक्शन दिया है, उन सबका इम्प्लीमैन्टेशन किया जाएगा, उसमें कोई कोर-कसर नहीं बरती जाएगी, कोई ढील नहीं बरती जाएगी । एक काम हम कर रहे हैं कि उनको अभी तक संविधान में जो संरक्षण मिला हुआ है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, उसको हम देने जा रहे हैं। यह जो पिछड़ेपन का सवाल

6 P.M. है इसको दूसरी तरह से देखा जा सकता है और वह यह है कि जो हमारी जाति व्यवस्था है, उससे ही यह चीज निकली है । हमारे यहां जाति व्यवस्था की वजह से जो एक सामाजिक हायरारकी बन गयी है उसकी वजह से ही यह सारी समस्याय खड़ी हो गयी हैं । इसको यदि दूर करना है तो एक ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे जाति-व्यवस्था खत्म हो और इंटीग्रेशन हो जाय । यह जो समुदाय हैं उनमें इंटीग्रेशन हो जाय । उनमें डिवीजिव प्रवृत्तियां न रहें और वे एक हो जायें । तो इसको करने के लिए बहुत-सी युक्तियां माननीय सदस्यों ने सुझायी हैं और सदन में डा० राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाशजी, गांधीजी और इंदिराजी का नाम भी ले लिया है···

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : अभी तक नाम ही तो लिया जाता रहा है ।

श्री धनिक लाल मंडल : उन्होंने जो युक्तियां सुझाई हैं वह हमको मालूम हैं, लेकिन जितनी युक्तियां सुझायी गई हैं यह सही है कि व जातियों को तोड़ने के लिए सुझायी गयी हैं, कायम रखने के लिए नहीं सुझायी गयी हैं । चाहे वह डा० लोहिया का सुझाव हो या जयप्रकाशजी का सुझाव हो या गांधीजी का सुझाव हो, उन लोगों ने जो सुझाव दिये हैं चाहे वे सर्विसेज में रिजर्वेशन के लिए हों या दूसरी प्रकार की सुविधायें देने के लिए हों वह सब जातिवाद को तोड़ने के लिए हैं और जातिवाद को तोड़न के लिये केवल सरकार ही सक्षम नहीं है । सरकार एक एजेंट बन सकती है और जनता पार्टी की सरकार जाति व्यवस्था को तोड़न के लिये, हरिजनों की समस्या को खत्म करने के लिये, जो जातिवाद से उपजी हुई चीज है, समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन सरकार को इस काम को करने के लिए माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है, जनता के सहयोग की अपेक्षा है । जब तक जन आंदोलन नहीं होते हैं···

श्री श्याम लाल यादव : वह तो हो गया ।

श्री धनिक लाल मंडल : इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जब तक जन आंदोलन नहीं होते हैं, जन संगठन नहीं होते हैं, तब तक इन युक्तियों से जो माननीय सदस्यों ने सुझायी हैं, उनसे काम नहीं होने वाला है । यद्यपि जो युक्तियां उन्होंने सुझायी हैं, उन पर हम विचार करेंगे इसकी हम आश्वासन

[श्री धनिक लाल मंडल]

देते हैं। उनमें से कुछ को हम काम में ला रहे हैं, लेकिन इसमें देश की जनता के सहयोग की अपेक्षा है और जो जन संगठन हैं, जो राजनीतिक संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं उनके सहयोग की जरूरत है, तभी जा कर यह पिछड़ापन, यह जाति व्यवस्था से उपजी हुई जो चीज है, वह खत्म हो सकेगी। अन्यथा केवल रिजर्वेशन करने से यह होने वाला नहीं है। यह मैं मानता हूं यद्यपि हम इसको अभी इन्कार नहीं कर रहे हैं।

मैनीफेस्टो की बात भी मैंने कही कि इस के एक अंश को हम पूरा करने जा रहे हैं। आप इन्तजार करिये। हमको पांच साल का मौका है। अभी तो कुल 9 महीने ही हुए हैं। *(Interruptions)* 6 बज गये है। सभी का जवाब दे देना चाहिए। मैं अल्पसंख्यकों के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने अल्पसख्यकों के बारे में जो अपनी राय जाहिर की, मैं उनको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का ध्यान इस ओर है और खास कर मुसलमानों की ओर। उनको भी सेवाओं में होना चाहिए। इसकी ओर हमारा ध्यान है। हम देख रहे हैं कि उनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व हो जिससे उनमें भी बिलगिग की भावना हो, यह भावना हो कि वह भी इस देश के काम में इसकी मुख्य धारा में शरीक हैं। जो नेशनल स्ट्रीम है, राष्ट्रीयता की मुख्य धारा है, उससे वह कटे नहीं हैं, अलग नहीं हैं, उदास नहीं हैं।

ऐसी बात हम उनमें भी नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। इसके लिए सर्विसेज में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की ओर हमारा ध्यान है। हम ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी ओर भी ध्यान दिये हुए हैं कि मुसलमानों को भी हर चीज में जो सरकारी सेवायें हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो।

जहां तक नव-बौद्धों का प्रश्न है, मैंने उस दिन भी इस सदन में कहा कि नव-बौद्धों का जो प्रश्न है . . .

श्री कल्पनाथ राय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हरिजनों से भी बदतर 25–30 करोड़ औरतों की दशा को सुधारने के लिए क्या सरकार कोई केन्द्रीय आयोग बनाने जा रही है। इस पर बोलिये साफ-साफ।

श्री धनिक लाल मंडल : जहां तक नव-बौद्धों का प्रश्न उठाया गया और यह कहा गया कि जब सिखों को, जैनियों और दूसरों को ये सुविधायें मिल रही हैं तो फिर किस आधार पर नव-बौद्धों को अलग कि[illegible] रहा है? उन्होंने यह भी कहा कि यह सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन है, मगर ऐसी बात नहीं है। जो हरिजन सूची है, जो आदिवासी सूची है, आर्टिकल 341 और 342 के तहत अनटचेबिलिटी मुख्य चीज है। अनटचेबिलिटी कास्ट से आई हुई चीज है और हिन्दू रिलीजन की चीज है। हम उसमें बौद्ध धर्म को प्रवेश नहीं करने देना चाहते है। पिछड़ेपन की कसौटी के लिए कोई निश्चित कसौटी अभी नहीं हुई है, लेकिन हरिजनों का जो शैड्यूल बना हुआ है, जो सूची बनी हुई है उसका मुख्य आधार ही यह है कि अनटचेबिलिटी का प्रश्न हो। अस्पृश्यता जो है वह हिन्दू धर्म से उगी हुई चीज है। इसलिए केवल हिन्दू धर्म के तहत है और जिन लोगों ने अस्पृश्यता से मुक्ति पाने के लिए हिन्दू धर्म को ही छोड़ दिया, बजाय इसके वह रहते और उसमें सुधार करते, संघर्ष करते, इसकी मुक्ति के लिए। इसके विपरीत उन्होंने समझा बेहतर कि इसको छोड़ देना और वह अलग होकर बौद्ध धर्म में चले गये। अब जो ये मांग कर रहे हैं। और यह तर्क दे रहे हैं, यह समुचित तर्क नहीं है। इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि संविधान प्रदत्त अधिकार हरिजन और आदिवासियों को हैं, वह तो हम

नव-बौद्धों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जहां तक ऐक्जीक्यूटिव आर्डर से हम लोग सुविधायें दे सकते हैं, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील रहेंगे। वह हमसे मिलें, यदि उनको कोई दिक्कतें हैं तो उनको हम दूर करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जनता पार्टी को आये हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं और यह आशा नहीं की जा सकती है कि चुनाव घोषणापत्र में जो-जो वायदे किये गये हैं, 6 महीने के अन्दर वे सब काम पूरे कर दिये जायें। ऐसी आशा नहीं की जा सकती है।

SHRI S. W. DHABE: We have raised the question about employment in the public sector.

श्री धनिक लाल मंडल : महिलाओं का जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इसका मामला काका कालेलकर समिति में उठा कि महिलाओं को इस सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, इसलिए कोई कमीशन अप्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। यह बात सर्वमान्य है। इसमें किसी का डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए उसमें कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी सुविधायें दिया जाना आवश्यक है उनके सम्बन्ध में हम उन लोगों की समस्याओं पर भी विचार करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो यह कोढ़ है, इससे देश को बचाना चाहते हैं और इस शर्म से देश को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए जबरदस्त आन्दोलन की जरूरत है और उस आन्दोलन में जनता के सहयोग की अपेक्षा है और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 12th December.

The House then adjourned at ten minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 12th December, 1977.

MGIPND -L -1523RS—10-2-7S—5-595